न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/3363/2003/धौलपुर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बसेडी जिला धौलपुर

अपीलार्थी

बनाम

रनवीर पुत्र परसादी जाति ठाकुर निवासी एक्टा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

प्रत्यर्थी

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक।
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर वकील प्रत्यर्थी।

निर्णय

दिनांकः.08.08.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर द्वारा अपील संख्या 99/2002 में पारित निर्णय दिनांक 11.10.02 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी ने एक वाद बाबत इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी का सहायक कलक्टर बाडी के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम एक्टा तहसील बसेडी की आराजीखसरा नम्बर 529/3 में 3 बीघा, खसरा नम्बर 544/1 में 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 546 रकबा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 136/2 रकबा 0.04 बिस्वा पर वादी का आधिपत्य सम्वत 2022 से निरन्तर चला आ रहा है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। वादी का कब्जा 30 वर्षो से अधिक का होने से वादी स्वतः खातेदार हो गये। अतः वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादी अपीलार्थी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 5.2.99 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 15.2.2001 से खारिज की गई। इसके

विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी ने रिव्यु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 9.10.02 से स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर ली गई एवं निर्णय दिनांक 11.10. 02 से अपील स्वीकार कर वादी का वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में सर्व प्रथम धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए तर्क दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के राजकीय अभिभाषक द्वारा दिनांक 5.3.03 को जिला कलक्टर, धौलपुर को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी गई जिस पर जिला कलक्टर द्वारा निर्णय का परीक्षण कराया गया एवं अपीलाधीन निर्णय राज्यहित के विपरीत होने से तहसीलदार, बसेडी को दिनांक 24.3.03 को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया जो उन्हें दिनांक 5.4.03 को प्राप्त हो गया। तत्पश्चात प्रभारी अधिकारी ने नकले आदि प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत करदी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है। अतः माफ की जावे।

4. गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित आराजीयात राजकीय भूमि है। वादी प्रत्यर्थी का कुछ वर्षो में अतिक्रमण रहा है। अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा मानकर धारा 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी प्रत्यर्थी को खातेदार घोषित किया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादी प्रत्यर्थी का लगातार 30 वर्ष तक कब्जा होना साबित नहीं है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। विवादित आराजी कमाण्ड क्षेत्र में स्थित है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने धारा 5 मयाद अधिनियम के जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अपील जानबूझकर देरी से प्रस्तुत की गई है। निर्णय की जानकारी निर्णय दिनांक से ही अपीलार्थी को थी। राजकीय अभिभाषक का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं देरी के प्रत्येक दिन का संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अपील लगभग 9 माह देरी से प्रस्तुत की गई है। अतः खारिज की जावे।

6. गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी

साक्ष्यों से वादी प्रत्यर्थी का लगातार 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होना साबित है। धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के नोटिस, पेनाल्टी रसीदे, खसरा परिवर्तनशील एवं खसरा गिरदावरियों से वादी प्रत्यर्थी का 30 वर्ष पुराना कब्जा होना साबित है। वादी प्रत्यर्थी को कभी भी भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया है। जिससे वादी प्रत्यर्थी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होने से ही प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय सही नहीं था। कमाण्ड क्षेत्र में खातेदारी देने में तथा नियमन द्वारा आवंटन की कोई मनाही नहीं है। प्रार्थी का केस प्रतिकूल पुरातन कब्जे से खातेदारी लेने के साथ ही नियमन हेतु भी उपयुक्त था, अधिकारयुक्त था। इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय सही है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में दिये गये तथ्यों तथा बहस में उठाये गये तथ्यों को मध्यनजर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है। राज्य पक्ष की ओर से प्रावधानों के अनुसार निर्णय का विधिक परीक्षण कराने एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने आदि की प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में नरमी रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ की जाती है एवं यह अपील अन्दर अवधि शुमार की जाती है।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात राजस्व अभिलेख में राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज हैं। वादी प्रत्यर्थी ने विवादित आराजी पर स्वंय का 30 वर्ष पुराना कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कथन करते हुए यह दावा प्रस्तुत किया है। वादी प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से विवादित आराजीयात पर वादी प्रत्यर्थी का 30 वर्ष तक लगातार निर्बाध कब्जा होना साबित नहीं होता है। वादी प्रत्यर्थी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में रहा है। एक अतिक्रमी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। यह भी स्पष्ट है कि आवंटन एवं नियमन व्यक्ति का अधिकार नहीं होकर राज्य का विवेकाधिकार है। व्यक्ति आराजी को आवंटन हेतु रखने पर इच्छुक होने पर आवंटन हेतु आवेदन कर सकता है। जहां उसकी पात्रता एवं प्राथमिकता का परीक्षण कर आवंटन पर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है किन्तु आवंटन हेतु रखने एवं आवेदन करने के उपरांत भी सरकार आराजी को आवंटन से बाहर कर सकती है। व्यक्ति किसी विशेष भू खण्ड का चयन कर अधिकार स्वरूप आवंटन का कथन नहीं कर सकता है। संक्षेपः आवंटन

सरकार का विवेकाधिकार है, व्यक्ति का अधिकार नहीं है। यह राज्य का विवेकाधिकार है। इसके साथ ही प्रतिकूल कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.10.02 निरस्त किये जाते हैं एवं सहायक कलक्टर, बाडी का निर्णय व डिक्री दिनांक 5.2.99 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य